

**2018 का अधिनियम संख्यांक 249**

[दि जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल (एमेन्डमेन्ट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

## **जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018**

**जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951**

**का और संशोधन**

**करने के लिए**

**विधेयक**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

संक्षिप्त नाम ।

1951 का 25 **5**

2. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 4 का संशोधन ॥

“(1) जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के न्यासी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(क) प्रधानमंत्री - अध्यक्ष ;

(ख) संस्कृति का भारसाधक मंत्री ;

(ग) लोक सभा में इस रूप में मान्यताप्राप्त विरोधी दल का नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है, वहां उस सदन में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता ;

(घ) पंजाब राज्य का राज्यपाल ;

(ङ) पंजाब राज्य का मुख्यमंत्री ; और

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन विख्यात व्यक्ति ।”।

धारा 5 का प्रतिस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

न्यासियों की पदावधि ।

“(5) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नामनिर्देशित न्यासी पाँच वर्ष की अवधि के लिए न्यासी होंगे और पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे :

परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नामनिर्देशित किसी न्यासी की पदावधि को बिना कोई कारण बताए पाँच वर्ष की अवधि के अवसान से पहले समाप्त किया जा सकेगा ।”।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 को, जलियांवाला बाग, अमृतसर में 13 अप्रैल, 1919 को मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की स्मृति को कायम रखने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण और प्रबंध का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में, स्मारक के निर्माण और प्रबंध के लिए एक न्यास का उपबंध और कतिपय आजीवन न्यासियों सहित न्यास की संरचना का भी उपबंध है।

2. बहुत समय से आजीवन नियुक्त न्यासियों की मृत्यु हो जाने से स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हो गया है और न्यास में सरकार का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए आजीवन न्यासियों की मृत्यु के कारण हुई रिक्तियों को भरने की दृष्टि से अधिनियम को, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यास की संरचना में परिवर्तन करने के लिए, नामनिर्देशित न्यासी की नियत पदावधि पांच वर्ष करने का उपबंध करने के लिए और न्यास के लेखा और संपरीक्षा, इत्यादि के लिए वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था।

3. वर्तमान में न्यास की संरचना में कतिपय असंगतियां देखी गई हैं। इसमें एक दल विशेष का न्यासी बनाने और लोक सभा में विरोधी दल के नेता को एक न्यासी बनाने का उपबंध है। नामनिर्देशित न्यासियों की पदावधि पांच वर्ष है और किसी नामनिर्देशित न्यासी की अवधि को उसकी पदावधि के अवसान से पहले समाप्त करने का अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है। लोक सभा में विरोधी दल के अभिहित नेता के अभाव में और दल विशेष का न्यासी होने को ध्यान में रखते हुए, इसे अराजनीतिक बनाने के लिए और नामनिर्देशित न्यासियों की पदावधि को उसके अवसान से पहले समाप्त करने का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम का संशोधन करने की आवश्यकता समझी गई है।

4. पूर्वोक्त दृष्टिकोण से जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018 में निम्नलिखित के लिए उपबंध है, अर्थात् :-

(i) न्यासी के रूप में "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष" का लोप करने के लिए;

(ii) "लोक सभा में विरोधी दल का नेता" के स्थान पर "लोक सभा में इस रूप में मान्यताप्राप्त विरोधी दल का नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है, वहां उस सदन में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता" को न्यासी बनाने के लिए; और

(iii) केन्द्रीय सरकार को, किसी नामनिर्देशित न्यासी की पदावधि को बिना कोई कारण बताए उसकी पदावधि के अवसान से पहले समाप्त करने की शक्ति प्रदान करने के लिए।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली ;

17 दिसंबर, 2018

महेश शर्मा

उपाबंध

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 (1951 का  
अधिनियम संख्यांक 25) से उद्धरण

\* \* \* \* \*

जलियांवाला बाग  
राष्ट्रीय स्मारक  
के न्यासी।

4. (1) जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के निम्नलिखित न्यासी होंगे, अर्थात् :-

(क) प्रधानमंत्री—अध्यक्ष,

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष,

(ग) संस्कृति का भारसाधक मंत्री,

(घ) लोक सभा में विरोधी दल का नेता,

(ङ) पंजाब राज्य का राज्यपाल,

(च) पंजाब राज्य का मुख्यमंत्री, और

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन विख्यात व्यक्ति।

\* \* \* \* \*

नामनिर्देशित  
न्यासियों की  
पदावधि।

5. धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्देशित न्यासी पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यासी होंगे और पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे।

\* \* \* \* \*